संख्या– / /जी0एस0 / शिक्षा / A11-145 /2016

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
कुलाधिपति सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक :** ~~दिसम्बर,~~ 06 जनवरी 2017 ~~2016~~

महोदय,

आपके पत्र संख्या 1794 / SDSUV/Affi-2016-17 दिनांक 11–11–2016 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या 40(06)2009 की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय चन्द्रबदनी (नैखरी), टिहरी गढ़वाल	**1–एम0ए0** (हिन्दी, राजनीतिशास्त्र एवं भूगोल)	प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30–30 सीट	सत्र 2016–17 एवं 2017–18 हेतु

1. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र हेतु महाविद्यालय का नियमानुसार निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा भौतिक निरीक्षण में पाई गई कमियों का पूर्णरूप से निराकरण कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सत्र के प्रारम्भ में महाविद्यालय अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय / शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4159 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A11-145 / 2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3 उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु ।
4 प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
5 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
अनुसचिव।